

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

क्रमांक-प. 6/33/राज-4/85 गार्ड/ 52

जयपुर, दिनांक- 18.12.2004

"अधिसूचना"


विषय- संशोधित अधिसूचना क्रमांक प. 6/33/राज-4/85 दिनांक 6.4.90 के द्वारा ।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 द्वारा राजस्थान अधिनियम संख्या 15 सन् 1956 की धारा 260 की उपधारा 1 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन से जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प. 6/33/राज-4/85 दिनांक 6.4.90 परपठित प. 6/33/राज-4/85 दिनांक 30.1.91 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन


उक्त अधिसूचना में यथा स्थान आई अभिव्यक्ति "भूमि एवं भवन कर अधिकारी, बीकानेर के प. पात एवं अभिव्यक्ति" द्वारा उनके प्रादेशिक क्षेत्र- अधिकार के पूर्व में भीलवाडा, श्रीगंगानगर, भरतपुर के स्थान पर क्रमशः जयपुर, उदयपुर एवं कोटा प्रतिस्थापित किये जाते हैं ।

राज्यपाल के आदेश से,


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय/राजस्वमंत्रा महोदय ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/वित्त
4. शासन सचिव, राजस्व/वित्त/कर
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. निदेशक केन्द्रीय गणनालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विधेयक दिनांक 18.12.2004 में प्रकाशनाथ ।
7. उप शासन सचिव वित्त/कर विभाग
8. रक्षित फ़ाइल में ।


उप शासन सचिव